



पथराव व बमबाजी करने वाले सात अभियुक्त पुलिस ने दबोचे

- थाना हनुमंत विहार क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल
- डीसीपी साउथ के निर्देश पर तत्काल पुलिस ने लिया एक्शन
- सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई टीम
- सभी के ऊपर की जाएगी गुण्डा/गैस्टर की कड़ी कार्यवाही
- पकड़े गए अभियुक्तों में से तीन का पहले से है अपराधिक इतिहास

कानपुर: शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें संजय गांधी नगर थाना क्षेत्र हनुमंत विहार में होने वाली पथर बाजी व बमबाजी की घटना में पुलिस ने छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों का पहले से भी अपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है।

घटना के संबंध में थाना हनुमंत विहार पुलिस ने शनिवार को मु.अ.स. 016/2023 धारा 147/323/ 504/506/336/427 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए. एक्ट बनाम 1. रजत ठाकुर पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 अज्ञात 2. करन यादव पुत्र रामबाबू नि0 अज्ञात 3. आर्यन द्विवेदी पुत्र सुशील कुमार द्विवेदी नि0 आनन्द विहार 4. शशाक पाल पुत्र नरेन्द्र कुमार राजपाल नि0 संजय गाँधी नगर 5. 4-5 साथी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया था। मौके से फील्ड यूनिट टीम द्वारा बरामद विस्फोटक सामग्री को सफल साक्ष्य के रूप में संरक्षित व एकत्रित करते हुये मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 4/9(ख) विस्फोटक अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। पुलिस ने घटना से जुड़े छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

नाम पता अभियुक्तगण:-

- रजत सिंह कछवाहा पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह कछवाहा नि0 948 संजय गांधी नगर नौबस्ता थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष।
- आर्यन द्विवेदी पुत्र श्री सुशील कुमार द्विवेदी नि0 110 आनंद विहार नौबस्ता कानपुर नगर उम्र करीब 24 वर्ष।
- करन यादव पुत्र रामबाबू यादव नि0 294 बाबा नगर थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष।
- शशाक पाल पुत्र नरेन्द्र कुमार राजपाल नि0 138ए संजय गांधी नगर नौबस्ता थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र करीब 23 वर्ष।
- अंकुश कुमार उर्फ दिवयांश पुत्र संजय कुमार नि0 119/50 संजय गांधी नगर थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र करीब 23 वर्ष।
- आदित्य शुक्ला उर्फ वेदान्त पुत्र देवेन्द्र शुक्ला नि0 म0 276 एन लवकुश विहार थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र करीब 23 वर्ष।
- हिमांशु दीक्षित पुत्र सुबोध दीक्षित निवासी मकान नंबर 103 संजय गांधी नगर थाना हनुमंत विहार उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्त रजत सिंह का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 182/22 धारा 147/323/336/427/504/506 आईपीसी थाना नौबस्ता कानपुर नगर।
- मु0अ0सं0 668/20 धारा 147/323/342/506 आईपीसी व 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट थाना बर्ना कानपुर नगर।

अभियुक्त आर्यन द्विवेदी का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 116/16 धारा 13जी एक्ट थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

- मु0अ0सं0 150/22 धारा 323/336/452/504/506 आईपीसी थाना नौबस्ता कानपुर नगर
- एनसीआर नं0 02/23 धारा 323/504 आईपीसी थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर ।
- एनसीआर नं0 33/22 धारा 323 आईपीसी थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर ।

अभियुक्त करन यादव का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 69/22 धारा 308/394/504/506 आईपीसी व 3(2)5 एससी/एसआर एक्ट थाना नौबस्ता कानपुर नगर ।
- मु0अ0सं0 240/22 धारा 323/506 आईपीसी थाना नौबस्ता कानपुर नगर ।
- एनसीआर नं0 02/23 धारा 323/504 आईपीसी थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अभिलाष मिश्र, विवेचक उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार झा, उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0 निशान्त राणा, उ0नि0 मनजीत सिंह, उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह, का0 अनुराग सिंह व का0 सुखवीर सिंह शामिल रहे ।



करन यादव



रजत सिंह कछवाहा



अंकुश उर्फ दिवयांश



आर्यन द्विवेदी



शशांक पाल



आदित्य शुक्ला उर्फ वेदान्त



हिमांशु दीक्षित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अभिलाष मिश्र, विवेचक उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार झा, उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0 निशान्त राणा, उ0नि0 मनजीत सिंह, उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह, का0 2625 अनुराग सिंह व का0 3026 सुखवीर सिंह शामिल रहे ।